

**न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)**  
(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

**सत्र प्रकरण क्र.-301 / 2016**

**संस्थित दिनांक 18.10.2016**

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना- मौ तहसील गोहद

जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

**बनाम**

1. अरविन्द सिंह गुर्जर पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर आयु 30 वर्ष  
व्यवसाय खेती,

2. श्रीमती मीरा बाई पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह गुर्जर आयु 55 वर्ष  
व्यवसाय गृहणी,

समस्त निवासीगण ग्राम उझावल अंतर्गत थाना मौ तहसील

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्तगण

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री पंकज शर्मा) के न्यायालय के  
मूल आपराधिक प्रकरण क्र. 312 / 16 में पारित उपार्पण आदेश दिनांक 31.08.  
16 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।

अभियुक्तगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 23.12.17 को घोषित)**

1. अभियुक्तगण अरविन्द सिंह एवं मीरा बाई के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-498ए एवं 304बी विकल्प में 302, विकल्प में 302 / 34 के तहत तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि अभियुक्तगण अरविन्द ने मनीषा के पति तथा मीरा बाई ने मनीषा की सास रहते हुए अरविन्द और मनीषा के विवाह दिनांक 30.04.12 से मनीषा की मृत्यु दिनांक 15.04.16 की अवधि में अपने घर स्थित ग्राम

उझावल में मनीषा से मोटरसाइकिल एवं एक लाख रूपए की दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित व तंग करते हुए उसके प्रति क्रूरता की, जिससे विवाह दिनांक 30.04.12 से सात वर्ष के भीतर दिनांक 15.04.16 को मनीषा की गले से लटकने से सांस रुकने से सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा मृत्यु कारित हुई तथा विकल्प में दोनों अभियुक्तगण ने दिनांक 15.04.16 को दिन में या उसके लगभग ग्राम उझावल अंतर्गत थाना मौ जिला भिण्ड में मिलकर मनीषा की हत्या करने का सामान्य आशय निर्मित किया तथा अभियुक्तगण या उनमें से किसी ने अपने घर में मनीषा की मृत्यु कारित करने के आशय से स्वेच्छया या जान बूझकर मनीषा की मृत्यु कारित करते हुए उसकी हत्या कारित की।

2. अभियोजन के अनुसार मनीषा एवं अभियुक्त आरविन्द सिंह का विवाह दिनांक 30.04.12 को ग्राम डबका थाना हस्तिनापुर में हुआ था। उसके बाद मनीषा अपनी ससुराल ग्राम उझावल चली गई थी। विवाह के एक साल बाद जब मनीषा ग्राम डबका अपने मायके आई तो उसने अपने पिता सुरेश सिंह, मां पुत्ती बाई, भाई बादम सिंह एवं अपने रिश्तेदारों को यह बताया कि उससे उसका पति अरविन्द एवं सास मीराबाई दहेज में एक लाख रूपए और मोटरसाइकिल की मांग करते हैं तथा इसी बात को लेकर मारपीट कर परेशान करते हैं और समय पर खाना नहीं देते हैं। जिस पर से अरविन्द के डबका आने पर उसे समझाया गया तथा मनीषा की ससुराल मनीषा के मायके वालों ने जाकर समझाया तो दो-चार दिन के लिए परेशान करना बंद कर देते थे, परंतु फिर परेशान करने लगते थे। दिनांक 15.04.16 को दिन के 02:30-03:00 बजे अभियुक्त अरविन्द ने मोबाइल पर मायके वालों को यह बताया कि मनीषा खाना नहीं खा रही है, जल्दी आ जाओ तथा उसके 20-25 मिनट बाद बताया कि फांसी लगा ली है। तब मनीषा के पिता सुरेश सिंह अपने भाई भूरे सिंह, बल्ली सिंह, लड़के बादाम सिंह आदि परिवार के लोगों को लेकर शाम 04:30 बजे उझावल पहुंचा तो देखा कि मनीषा घर के अंदर कमरे में छत के कुंदे से रस्सी से फांसी पर मरी हुई लटकी थी। मनीषा के मायके वालों के अनुसार अरविन्द सिंह एवं मीराबाई के द्वारा मनीषा

को दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहने से मनीषा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मनीषा की मृत्यु होने की सूचना थाना मौ में सुरेश सिंह द्वारा दी गई, जिस पर से प्र0पी0-01 की मर्ग सूचना, मर्ग क्रमांक 15/16 पर दर्ज की गई।

3. दिनांक 15.04.16 को ही पुलिस के द्वारा सफीना फार्म प्र0पी0-08 तैयार किया गया। प्र0पी0-09 का प्रथम पृष्ठ का तथा प्र0पी0-15 का द्वितीय पृष्ठ का नक्शा पंचायतनामा तैयार किया गया। दिनांक 15.04.16 को ही मनीषा के शव का परीक्षण किया गया, जिसके अनुसार मनीषा की मृत्यु गले में लगे फंदे के कारण दम घुटने से होना पाया गया, जिसकी शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र0पी0-13 है। अस्पताल से ही मनीषा के विसरे को दो सीलबंद डिब्बे में मनीषा की लिगेचर स्किन एवं हाइडबॉन तथा एक सीलबंद डिब्बे में स्लाइड तथा नमक का घोल प्लास्टिक की शीशी में मय लिगेचर एवं सीलबंद पोटली पुलिस को प्रदान की गई, जिसे लाकर थाने पर दिया गया, जिसका जप्ती पंचनामा प्र0पी0-14 बनाया गया। पुलिस द्वारा मर्ग जांच के दौरान दिनांक 26.04.16 को घटनास्थल पर जाकर पूरन सिंह की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-17 बनाया गया। दिनांक 02.05.16 को मनीषा एवं अरविन्द के विवाह का कार्ड जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-02 बनाया गया, विवाह का कार्ड आर्टिकल ए है। मर्ग जांच पर से अरविन्द एवं मीराबाई के विरुद्ध धारा-304बी/34 भा0दं0सं0 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पाए जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 94/16 पंजीबद्ध करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-18 लिखी गई।

4. दौराने अनुसंधान दिनांक 13.05.16 को मनीषा के पिता सुरेश सिंह, मां पुत्ती बाई, भाई बादाम सिंह, रिश्तेदार बल्ली सिंह एवं बृजेन्द्र सिंह के प्र0पी0-03 लगायत प्र0पी0-07 के कथन लिए गए। दिनांक 13.05.16 को ही भूरे सिंह का तथा दिनांक 09.08.16 को पपली उर्फ कैलाश गुर्जर के कथन लिए गए। दौराने अनुसंधान दिनांक 27.05.16 को अभियुक्त अरविन्द सिंह को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-11 बनाया गया। उपरोक्त सामग्री एवं विसरा जांच के लिए प्र0पी0-19 के ड्राफ्ट से भेजे गए, जिसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी0-20 एवं 21 है। बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां से यह प्रकरण उपार्पण पश्चात इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

5. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की, अभियुक्तगण का धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

**प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-**

1. श्रीमती मनीषा की मृत्यु का स्वरूप क्या था ? अर्थात श्रीमती मनीषा की मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक थी या हत्यात्मक थी या आत्महत्यात्मक थी ?
2. क्या अभियुक्तगण ने मनीषा की हत्या करने के आशय से यह जानते हुए कि उनके इस कृत्य से मनीषा की मृत्यु हो जायेगी, मनीषा के रस्सी से फांसी लगाकर उसकी मृत्यु कारित कर मनीषा की हत्या की ?
3. क्या अभियुक्तगण ने मनीषा के विवाह के पश्चात मनीषा से अथवा उसके मायके वालों से दहेज में एक लाख रुपए एवं मोटरसाइकिल की मांग की और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित या तंग करते हुए उसके प्रति क्रूरता की ?
4. क्या मनीषा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा परिस्थितियों में हुई थी ?
5. क्या अभियुक्तगण ने दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर रेखा को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हुए उसके साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व इस हद तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़नापूर्ण

व्यवहार किया कि रेखा का जीवन परिसंकटमय हो जावे ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 एवं 02 :-

6. यह विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।
7. मनीषा के पिता सुरेश अ0सा0-01 ने यह बताया है कि दिनांक 15.04.16 को दोपहर के समय उसके दामाद अरविन्द का उसके पास फोन आया था कि जल्दी आ जाओ मनीषा ने कुछ कर लिया है, जब वे अपनी लड़की मनीषा की ससुराल उझावल गांव पहुंचे तो मनीषा मृत अवस्था में पाई गई। जिसके संबंध में प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखाई थी।
8. इसी प्रकार मनीषा की मां पुत्ती बाई अ0सा0-02, भाई बादाम सिंह अ0सा0-03, मनीषा के चाचा लल्ली सिंह अ0सा0-04, चचेरे भाई बृजेन्द्र सिंह अ0सा0-05, मनीषा के ताऊ भूरे सिंह अ0सा0-06, मनीषा के चाचा कैलाश उर्फ पपली अ0सा0-15 आदि सभी ने यह बताया है कि अरविन्द के द्वारा फोन करने से वे सब परिवार के लोगों के साथ ग्राम उझावल पहुंचे थे तो देखा था कि मनीषा मृत अवस्था में पड़ी थी। कैलाश उर्फ पपली अ0सा0-15 ने प्र0पी0-08 का सफीना फार्म बनाया जाना और प्र0पी0-09 का नक्शा पंचायतनामा बनाया जाना बताया है।
9. पूरन सिंह अ0सा0-07 ने भी पुलिस के द्वारा प्र0पी0-08 का सफीना फार्म तथा नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-09 बनाया जाना बताया है। तहसीलदार डी.के. पाण्डेय अ0सा0-13 ने दिनांक 15.04.16 को एस.डी.एम. तथा एस.डी.ओ.पी. गोहद के निर्देश पर नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-15 बनाया जाना बताया है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से नक्शा पंचायतनामा के प्रथम पृष्ठ को प्र0पी0-09 तथा द्वितीय पृष्ठ को प्र0पी0-15



से प्रदर्शित कराया गया है।

10. डी.के. पाण्डेय अ0सा0-13 ने यह बताया है कि सूचना पर से वे ग्राम उझावल पहुंचे थे। जहां पर अरविन्द सिंह गुर्जर के घर पर उपस्थित पंचान के समक्ष मृतिका मनीषा की लाश का निरीक्षण कर पंचायतनाम लाश प्र0पी0-15 बनाया था तथा लाश के अवलोकन से यह पाया था कि मृतिका की लाश सोने वाले कमरे में काले रंग के रस्से से छत के कुंदे से लटकी हुई थी। मृतिका की गर्दन पर रस्सी का निशान था। मृतिका के मुह से हल्की सी लार और हल्का सा खून निकला था। डी.के. पाण्डेय अ0सा0-13 ने यह स्पष्ट किया है कि उपस्थित महिला पंचों से मृतिका के शरीर को दिखवाया गया तो मृतिका के शरीर पर अन्य किसी स्थान पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। उपस्थित पंचों की राय में मृतिका की मृत्यु फांसी लगाए जाने से हुई थी, फिर भी मृतिका की मृत्यु का सही कारण जानने के लिए मृतिका का पोस्टमार्टम कराए जाने का उल्लेख नक्शापंचायतनामा प्र0पी0-15 में किया था। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार मृतिका के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और उसकी मृत्यु फांसी लगाने के कारण हुई थी।

11. डॉ0 आर.एस. भदौरिया अ0सा0-10 ने दिनांक 15.04.16 को सी.एच.सी. मौ में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहते हुए मनीषा गुर्जर पत्नी अरविन्द गुर्जर के शव का परीक्षण महिला चिकित्सक डॉ0 पद्मा द्विवेदी के साथ करना बताया है, उनके अनुसार मृतिका का शरीर पूरी तरह अकड़ गया था और अकड़न खत्म होने की स्थिति में थी। मृतिका के नाक से सीरस फ्लूड निकल रहा था। दोनों आंखे अधखुली थीं। दोनों आंखों में कंजेशन था, दोनों प्यूपिल्स डायलेटेड थे, कोर्निया धुंधली थी, पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था, सूखी हुई लार मुंह के बांयी ओर थी, जीभ कटी हुई थी, जो ऊपर और नीचे के जबड़े के बीच में फंसी थी। नाभि पर चीरे का पुराना निशाना था। मृतिका के गले में काले रंग की रस्सी का फंदा लगा हुआ था।

12. डॉ0 आर0एस0 भदौरिया अ0सा0-10 ने यह भी बताया है कि

मृतिका के गले में फंदे का निशान थाइरोइड के ऊपर था, जो गर्दन के पीछे व ऊपर की ओर गया था। फंदे के निशान पर रस्सी के निशान थे। फंदे का आकार का निशान लगभग 28 से.मी. लंबा तथा 1.5 से.मी. चौड़ा था। फंदे का निशान का विच्छेदन करने पर वहां पर छोटी छोटी ब्लडवेसल्स थीं तथा मसल्स फाइबर फटे हुए थे, व जमा हुआ खून उपस्थित था। खोपड़ी, कपाल व कशेरुका स्वस्थ थे, सिल्ली व मस्तिष्क व मरुरज्जू कंजस्टेड थे।

13. डॉ० आर०एस० भदौरिया अ०सा०-10 ने यह भी बताया है कि पर्दा, पसली व कोमलस्व स्वस्थ, फुफुस स्वस्थ, कंठ व श्वास नली झागदार सीरस फूल्ड मौजूद था, दाहिना व बाया फेंफडा कंजस्टेड, पेरिओन परकरसिथम स्वस्थ, हृदय के दाया चेंबर में गहरा खून उपस्थित था, बाया चेंबर खाली था, वृहद वाहिका में खून के कण मौजूद थे। मेरे साथ शव परीक्षण करने वाली महिला चिकित्सक के मतानुसार— भीतरी व बाहरी जनेन्द्रियों में कोई भी चोट मौजूद नहीं थी, बच्चादानी में कोई भी गर्भ नहीं था, बच्चादानी सामान्य आकार की थी, पोस्टीरिया बैजाइना का स्मीयर लिया गया और सील्ड किया गया। मृतिका का बिसरा, रस्सी, व पोस्टीरिया बैजाइना, गले की खाल को सील्ड कर पी.एम. रिपोर्ट के साथ भेजा गया था।

14. डॉ० आर०एस० भदौरिया ने यह बताया है कि मृतिका की मृत्यु उसके गले में गले में फंदे के कारण दम घुटने से होना संभव है। मृतिका की मृत्यु का अंतराल परीक्षण के 24 घंटे के अंदर का था। उक्त शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र०पी०-13 होना बताया है। इस प्रकार फंदा लगाने से दम घुटने के कारण मृत्यु संभावित होना बताया है। जिसके संबंध में गले पर रस्सी के निशान पाए गए हैं। फंदे का विच्छेदन करने पर वहां पर भी जमा हुआ खून पाया गया है तथा ब्लड वेसल्स तथा मसल्स फाइबर कटे हुए पाए गए हैं, जिससे कि स्पष्ट होता है कि फंदे से लटकने के कारण ही ऐसा हुआ है।

15. डॉ० आर०एस० भदौरिया अ०सा०-10 ने प्र०पी०-13 के

अनुसार मृतिका मनीषा के शरीर पर किसी भी प्रकार की कोई चोट छिलन, रगड़ या मारपीट के निशान नहीं होना पाया है। जिसकी पुष्टि डी.के. पाण्डेय अ0सा0-13 की इस साक्ष्य से होती है कि मृतिका की मृत्यु फांसी लगाए जाने से हुई थी और उसके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। डॉ0 आर0एस0 भदौरिया अ0सा0-10 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-09 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यदि कोई महिला स्वयं फांसी लगाए तो इस प्रकार की मृत्यु संभव है। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार फंदे से लटककर दम घुटने से मृतिका की मृत्यु होना प्रकट होता है। चूंकि मनीषा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं, तब ऐसी स्थिति में किसी के द्वारा उसे फांसी पर लटकाया जाने के तथ्य भी प्रकट नहीं होते हैं क्योंकि यह स्वाभाविक है कि यदि किसी को बलपूर्वक फांसी पर लटकाया जायेगा तो किसी न किसी छिलन, रगड़ या कोई चोट आएगी ही। मनीषा के शरीर पर मारपीट के कोई निशान नहीं पाए गए हैं, जिससे कि किसी बल के प्रयोग की संभावना समाप्त हो जाती है।

16. प्र0पी0-21 के अनुसार कोई रासायनिक विष भी बिसरा में नहीं पाया गया है। प्र0पी0-20 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्शनी सी जो मनीषा की स्लाइड है, उसमें मानव शुक्राणु पाए गए हैं। परंतु मनीषा विवाहिता स्त्री थी, तब उसकी स्लाइड में मानव शुक्राणु पाया जाना एक स्वाभाविक बात है। अभियोजन मामला भी यही है कि मनीषा के द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की गई है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि उक्त मृत्यु दुष्ट टिनात्मक या हत्यात्मक न होकर आत्महत्यात्मक है क्योंकि मनीषा की हत्या की कोई साक्ष्य नहीं है। इसके साथ साथ उसके शरीर पर चोट का कोई भी निशान नहीं पाया गया है और यहां तक कि रगड़ का भी कोई निशान नहीं है। मनीषा के उपरोक्त मायके वाले साक्षियों के अनुसार भी मामला यह नहीं है कि मनीषा को बलपूर्वक फांसी लगा दी गई हो, तब केवल एक ही विकल्प यह रह जाता है कि मनीषा ने स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अतः ऐसी स्थिति में मनीषा की मृत्यु का स्वरूप आत्महत्यात्मक होना प्रकट और प्रमाणित होता है। इस परिपेक्ष्य में यह भी प्रमाणित नहीं होता है



कि अभियुक्तगण के द्वारा स्वेच्छया या जानबूझकर मनीषा की मृत्यु कारित करते हुए उसकी हत्या कारित की गई।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 04:-**

17. प्रवीण अष्ठाना अ0सा0-16 ने मृतिका मनीषा के पिता सुरेश सिंह से उसके विवाह की शादी का कार्ड आर्टिकल ए जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-02 बनाया जाना बताया है। आर्टिकल ए के अनुसार मनीषा का विवाह अरविन्द के साथ दिनांक 30.04.12 को होना प्रकट है। सुरेश सिंह अ0सा0-01 एवं मनीषा के अन्य रिश्तेदार मां, भाई आदि ने कथन देने की दिनांक से चार साल पहले मनीषा का विवाह अरविन्द के साथ होना बताया है। जिसकी पुष्टि आर्टिकल ए के कार्ड से होती है। चूंकि मनीषा की मृत्यु फांसी लगाने से हुई है। अतः ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि मनीषा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थिति से अन्यथा हुई है।

#### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 एवं 05:-**

18. उक्त विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए साक्षियों में से किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण अरविन्द एवं मीराबाई के द्वारा मनीषा को खाना नहीं देने, मनीषा और उसके मायके वालों से मोटरसाइकिल तथा एक लाख रूपए की मांग करने, शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या तंग करने और मनीषा के प्रति क्रूरता करने तथा दहेज की मांग करने को लेकर प्रताड़ित होने पर मनीषा के द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है।
19. प्रमुख साक्षी मनीषा के पिता सुरेश सिंह अ0सा0-01, मां पुत्ती बाई अ0सा0-02, भाई बादाम सिंह अ0सा0-03, चाचा लल्ली सिंह, अ0सा0-04, चचेरे भाई बृजेन्द्र सिंह अ0सा0-05, ताऊ भूरे अ0सा0-06, चाचा कैलाश उर्फ पपली अ0सा0-15 ने ऐसा नहीं बताया है कि मनीषा को

अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाइकिल और एक लाख रूपए की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था और तंग किया जाता था या उसके प्रति क्रूरता की जाती थी। अपितु साक्षियों ने यह बताया है कि दामाद अरविन्द सिंह मनीषा को अच्छी तरह से रखता था। अभियोजन की ओर से इन साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित किया गया है।

20. अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण में दिए जाने वाले इन सुझावों से इन साक्षियों ने इन्कार किया है कि मनीषा जब मायके आती थी तो मायके वालों को यह बताती थी कि पति अरविन्द और सास मीरा बाई उससे एक लाख रूपए और मोटरसाइकिल की मांग दहेज के रूप में करते थे, दहेज की मांग पर मारपीट कर परेशान करते हैं, खाना समय पर नहीं देते हैं। इस तथ्य से भी इन्कार किया है कि अरविन्द जब मनीषा के मायके आता था तो उसे समझाया जाता था कि मनीषा को परेशान मत रखना। इस तथ्य से इन्कार किया है कि जब सुरेश सिंह के भाई भूरे सिंह बीमार हो गए थे तो मनीषा को उसका देवर जीतेन्द्र घर के दरवाजे पर उतार कर वापिस लौट गया था तथा मनीषा ने अपने पति व सास के द्वारा उसे परेशान किए जाने की शिकायत की थी। उपरोक्त साक्षियों को उनके पुलिस कथन प्र0पी0-03, प्र0पी0-04, प्र0पी0-05, प्र0पी0-06, प्र0पी0-07 एवं प्र0पी0-16 के ए से ए भाग पढ़कर सुनाए जाने पर, उन्होंने ऐसा कथन पुलिस को नहीं दिया जाना व्यक्त किया है।

21. बचाव पक्ष की ओर से पूछे जाने पर प्रतिपरीक्षण में इन साक्षियों ने बताया है कि मनीषा ने कभी भी ससुराल की कोई शिकायत उसके पिता सुरेश या मायके वालों से नहीं की। अपितु यह बताया है कि मनीषा ससुराल में सास, ससुर व पति के द्वारा अच्छी तरह से रखने की बात कहती थी और यह बताया है कि मनीषा कुछ चिड़चिड़े स्वभाव की थी। मनीषा के ससुराल में कोई परेशानी नहीं थी। मनीषा की मां पुत्ती बाई अ0सा0-02 ने यह बताया है कि उसकी लड़की ने मानसिक बीमारी के कारण तंग आकर स्वयं आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार सभी प्रमुख

साक्षियों ने इस बिन्दु पर अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

**22. न्याय दृष्टांत किसन सिंह बनाम पंजाब राज्य 2008 (1)**

**सीसीएससी 208 (सु0को0)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दहेज मृत्यु के मामले में निम्नलिखित पांच आवश्यक तत्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए:-

1. स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक उपहति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए।
2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
3. स्त्री को उसके पति द्वारा अथवा उसके पति के नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा जाना चाहिए।
4. क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए।
5. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पहले की गई दर्शित की जाती हो, सिद्ध किया जाना चाहिए।

**23. इस मामले में उपरोक्त सामग्री विवेचना एवं अभिलेख पर आई**

साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रकट है कि मृतिका मनीषा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। परंतु यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा मनीषा के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया या उसे तंग किया गया या उसकी मारपीट की गई या उसे प्रताड़ित किया गया या मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता की गई। यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने मनीषा अथवा उसके मायके वालों से दहेज में एक लाख रुपए एवं मोटरसाइकिल अथवा अन्य किसी दहेज की मांग की। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

**24. फलस्वरूप अभियुक्तगण अरविन्द सिंह गुर्जर एवं श्रीमती मीरा**

बाई को भा0दं0सं0 की धारा 498ए, 304बी विकल्प में 302, विकल्प में 302/34 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. प्रकरण में जप्तशुदा शादी के कार्ड आर्टीकल ए को अभिलेख का भाग बनाया जावे। शेष संपत्ति स्लाइड आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे।

26. अभियुक्त अरविन्द को दिनांक 27.05.16 को गिरफ्तार किया गया है तथा उसे दिनांक 07.02.17 को जमानत पर रिहा किया गया है। इस प्रकार वह कुल 257 दिवस निरोध में रहा है। अभियुक्त श्रीमती मीरा बाई निरोध में नहीं रही है। उसकी अग्रिम जमानत का आदेश मान्नीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा किया गया है। वह अग्रिम जमानत पर स्वतंत्र रही है। इस संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

27. धारा-365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित  
कर घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित ।

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)  
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,  
गोहद जिला भिण्ड